

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक **849** / गोपनीय / 2020
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक **27** अगस्त, 2020

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में एल0एल0एम0 की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

आदेशानुसार,


* (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक **850** / गोपनीय / 2020
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक **27** अगस्त, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 एस.जे.ए., गोपनीय शाखा/डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


* (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल